न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 154 / 2023

उनवान

बद्री पिता उदा जाट निवासी तस्वारिया खुर्द तहसील शाहपुरा

– प्रार्थी

बनाम

1– चारभुजानाथ जरिये पुजारी नन्दकिशोर पुत्र जमना वैष्णव निवासी तस्वारिया खुर्द तहसील शाहपुरा
2– शंकर पुत्र रामचन्द्र जाट निवासी तस्वारिया खुर्द तहसील शाहपुरा
3– सुखदेव पिता किशना गाडरी निवासी तस्वारिया खुर्द तहसील शाहपुरा
4– हीरा पिता बालू जाट निवासी तस्वारिया खुर्द तहसील शाहपुरा
5– मु. मनभर पत्नी लादू जाट निवासी तस्वारिया खुर्द तहसील शाहपुरा
6–8 देबी, मु. लीला, मु. सजनी पिता उदा जाट निवासी तस्वारिया खुर्द तहसील शाहपुरा
9– मु. अनोपी पत्नी बालू जाट निवासी तस्वारिया खुर्द तहसील शाहपुरा
10–13 मु. गीता, बद्री, मु. शांति, हीरा पिता बालू जाट निवासी तस्वारिया खुर्द तहसील शाहपुरा
14–15 जमनालाल, मिश्री पुत्र पन्ना जाट निवासी तस्वारिया खुर्द तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री सोहेल खां कायमखानी
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **18/09/2023**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **तस्वारिया खुर्द पटवार हल्का ईटमारिया** तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित **आराजी नम्बर 634 रकबा 0.59 है0, 635 रकबा 0.19 है0, 637 रकबा 0.22 है0, 640 रकबा 0.08 है0, 641 रकबा 0.25 है0** कुल किता 5 रकबा **1.33** हैक्टेयर का प्रार्थी **सह खतेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। नियत पेशी दिनांक 08.08.2023 को **विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 8, 10 लगायत 15** बावजूद सूचना उपस्थित नही हुए। विपक्षी सं0 9 की मृत्यु होने से सम्मन अदम तामिल लौटाया गया। दिनांक 18.09.2023 को **विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 8, 10 लगायत 15** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 9** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थी के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम तस्वारिया खुर्द पटवार हल्का ईटमारिया संवत 2075 से 2078 तक** का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थी के सह खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः **प्रार्थी** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **तस्वारिया खुर्द** में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त **सह खातेदारी** की आराजीयात् किता **5 रकबा 1.33 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500 /– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **18/09/2023** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा